

# मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)  
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी-विंग', 59, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./408) /NREGS-MP/स्था./NR-2/10 भोपाल,

दिनांक 24.4.10


प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत ग्वालियर  
मध्यप्रदेश,

विषय : जिले में पदस्थ अमले के वेतन एरियर्स राशि के भुगतान के संबंध में।  
संदर्भ: जिला पंचायत ग्वालियर के पत्र क्र. 14050 दिनांक 22/12/09

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्रानुसार लेख किया गया है कि जिले के प्रशासनिक मद 6 प्रतिशत से अधिक होने के कारण पदस्थ अमले को वेतन एवं एरियर्स राशि (1.62 लाख) का भुगतान नहीं किया गया है।

पत्र के माध्यम से उक्त भुगतान हेतु परिषद् मुख्यालय से स्वीकृति चाही गयी थी, अतः परिषद् द्वारा उक्त राशि के भुगतान किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। कृपया तत्काल समस्त भुगतान कर परिषद् मुख्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।


  
12.4.10  
( ए.के. सिंह )

संयुक्त आयुक्त (प्रशा.)  
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्  
मुख्यालय, भोपाल

दिनांक 24.4.10

पृ.क्र./4082 /NREGS-MP/योजना/NR-1/10 भोपाल,  
प्रतिलिपि

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ..... (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
12.4.10

संयुक्त आयुक्त (प्रशा.)  
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्  
भोपाल